न्यायालय राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0 के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1597–दो/2010 विरूद्ध आदेश दिनांक 27–7–2001 पारित व्दारा – अपर आयुक्त,चम्बल संभाग,मुरैना – प्रकरण क्रमांक 159/1999–2000 अपील

मुँशीसिंह पुत्र राजाराम यादव
ग्राम उमरी तहसील व जिला भिण्ड ---आवेदक

विरूद्ध

1– आनन्दकुमार 2– रामनरेश
3– बिनोदकुमार 4– संतोषकुमार
पुत्रगण हरदयाल ब्राहमण
निवासीगण उमरी तहसील भिण्ड ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री ओ.पी.शर्मा)

(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री आर0डी0शर्मा)

आ दे श

(आज दिनांक 15– 10–2015 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त,चम्बल संभाग,मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 159/1999–2000 अपील में पारित दिनांक 27–7–2001 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने नायव तहसीलदार वृत्त उमरी तहसील भिण्ड के समक्ष आवेदन देकर मांग की कि ग्राम उमरी स्थित भूमि सर्वे नंबर 418 रकबा 0.05 आरे पर वह सिकमी कास्तकार है इसलिये संहिता की धारा 190, 110 के अंतर्गत उसे भूमिस्वामी घोषित कर नाम

इन्द्राज किया जाय। नायव तहसीलदार उमरी ने प्रकरण क्रमांक 7/1993-94 अ-6 दर्ज किया तथा जांच एंव सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 27-8-97 पारित कर आवेदक का आवेदन निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्व आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड के समक्ष अपील क्रमांक 4/97-98 प्रस्तुत करने पर आदेश दिनांक 30.12.99 से अपील निरस्त की गई। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, चम्बल संभाग,मुरैना के समक्ष अपील करने पर प्रकरण क्रमांक 159/1999-2000 अपील में पारित दिनांक 27-7-2001 से अपील निरस्त की गई। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव नायव तहसीलदार के आदेश दिनांक 27-8-97 के अवलोकन से पाया गया कि ग्राम उमरी स्थित भूमि सर्वे नंबर 418 रकबा 0.05 आरे मंदिर से लगी भूमि है जिस पर आवेदक जमींदारी काल से पिता का सिकमी कास्तकार होना एंव उनके वाद स्वयं को उपकृषक होना बता रहा है । नायव तहसीलदार ने जब आवेदक ने जमींदारी काल के अभिलेख मांगे, वह प्रस्तुत नहीं कर सका। आवेदक ने किसी प्रकार के दस्तावेज से अथवा मौखिक साक्ष्य से भी वह प्रमाणित नहीं किया कि वादग्रस्त भूमि का वह सिकमी कास्तकार है। हलका पटवारी ने कथन दिये हैं जिसमें बताया है कि धारा 190/110 के अंतर्गत आवेदक को भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त करने की पात्रता नहीं आती है । इन्हीं कारणों से आवेदक सिकमी कास्तकार प्रमाणित न होने से नायव

तहसीलदार ने आदेश दिनांक 27-8-97 से आवेदक का आवेदन निरस्त किया है और इन्हीं कारणों से अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड ने प्रकरण कमांक 4/97-98 अपील में पारित आदेश दिनांक 30.12.99 में तथा अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 159/1999-2000 अपील में पारित दिनांक 27-7-2001 में नायव तहसीलदार के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 159/1999-2000 अपील में पारित दिनांक 27-7-2001 विधिवत् होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है। अतः निगरानी सारहीन पाये जाने से अस्वीकार की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर